

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1437 /2021 दिनांक 01.07.2021

श्री मुकुल गहलोत (RJ0948), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 08.04.2021 से 10.04.2021 तक 03 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave)।
2. दिनांक 11.04.2021 से 25.04.2021 तक 15 दिनों का परावर्तित अवकाश।

श्री गहलोत, की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, सीकर / वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर / वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
दिनांक: 01.07.2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/177/2015/ 4146

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 3199 दिनांक 14.06.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री मुकुल गहलोत (RJ0948), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, सीकर।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।


सहायक रजिस्ट्रार